झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–625 वर्ष 2017

1. सुबशी केरकेट्टा, पुत्री–स्वर्गीय अब्राहम केरकेट्टा, निवासी ग्राम–कोंसा, डाकघर–लात्रा, थाना–कामदारा, जिला–गुमला, झारखण्ड।
2. एलियास केरकेट्टा, पुत्री–स्वर्गीय इग्नास केरकेट्टा, निवासी ग्राम–नोवगई, डाकघर–पुत्रुंगी, थाना–डुमरी, जिला–गुमला, झारखण्ड।
3. जोहन टोप्पो, पे0–स्वर्गीय सिलबानस टोप्पो, निवासी ग्राम–अम्बाटोली, डाकघर–बिंदोरा, थाना–डुमरी, जिला–गुमला, झारखण्ड।
4. बेंनाडिक तिर्की, पुत्री–जूलियस तिर्की, निवासी–पुतकंगी, डाकघर–कटकही, थाना–डुमरी, जिला–गुमला, झारखण्ड।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, एम0डी0आई0 भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–राँची, झारखण्ड।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, एम0डी0आई0 भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–राँची, झारखण्ड।
4. जिला शिक्षा अधीक्षक गुमला, डाकघर, थाना एवं जिला–गुमला, झारखण्ड।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री के0एस0 नंद, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– ए0जी0 का जे0सी0।

02 / 14.02.2017 बताया गया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 दिनांक 31.12.2014 को, याचिकाकर्ता संख्या 2 दिनांक 31.03.2015 को, याचिकाकर्ता संख्या 3 दिनांक 31.10.2016 को और याचिकाकर्ता संख्या 4 दिनांक 31.10.2016 को प्रतिवादी–एस0पी0जी0 प्राथमिक विद्यालय, काजरा, कामदार, आरसी प्राथमिक विद्यालय, सिरसी, डुमरी स्कूल, टोंगो, चैनपुर की सेवाओं से सहायक शिक्षक के रूप में सेवानिवृत हुए। याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि विचाराधीन स्कूल एक सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल है और स्कूल कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्चों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया गया है। उन्हें महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन भी मिल रही है।

2. वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ताओं की शिकायत उनके खिलाफ बकाया अर्जित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतानन करने के संबंध में है। उन्होनें यह भी कहा है कि अन्य पोस्ट रिटायरल बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायकता से वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का भुगतान किया गया है।

याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह स्वीकार करते हैं कि हालांकि, याचिकाकर्त्ताओं के दावे का पहले प्रतिवादी–राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन इस न्यायालय की विद्वान खण्डपीठ द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2014 को डब्ल्यू0पी0 (एस) सं0 506 / 2013 मरियम तिर्की बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य एवं अन्य अनुरूप मामले में पारित निर्णय जो 2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465 में रिपोर्ट किया गया है, के

मद्देनजर अब इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल लीभ टू अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607/2014 में पारित दिनांक 15.12. 2014 के निर्णय द्वारा पुष्टि किया गया। याचिकाकर्त्ताओं के अनुसार, विद्वान डिवीजन बेंच द्वारा पूर्वोक्त पारित निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई है, के मद्देनजर याचिकाकर्त्ताओं को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देकर रिट याचिका का निपटारा किया जा सकता है।

4. उत्तरदाता–राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि सरकारी/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पुष्टि किया गया।

5. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं0 4 को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि वह याचिकाकर्त्ताओं से संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद उनके छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में उनके ओर से अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर और मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए निर्णय किया जाए।

6. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(श्री आनंदा सेन, न्याया0)